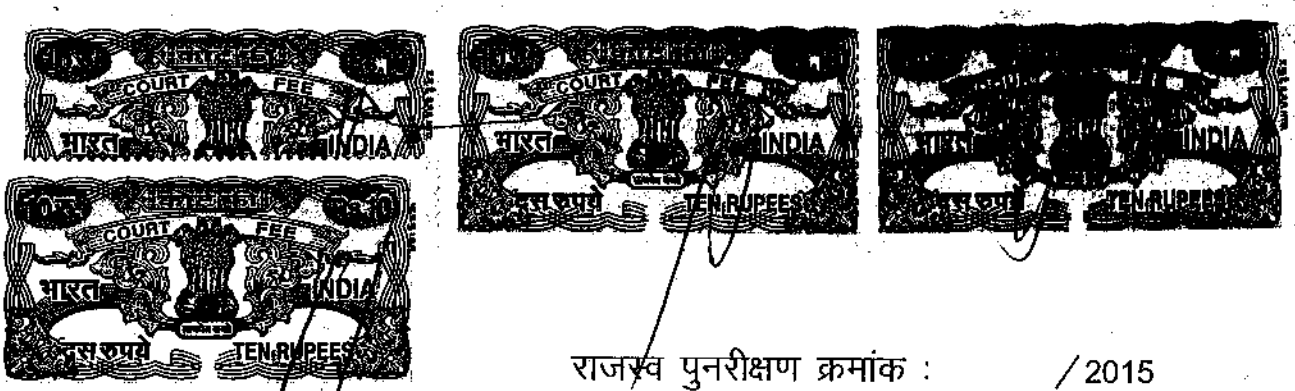

राजस्व पुनरीक्षण क्रमांक : /2015

माननीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के समक्ष

निग/2792/PBR/15

श्रीमती कलाबाई पति श्यामलालजी गुर्जर,
निवासी ग्राम अतर, तहसील खण्डवा,
जिला खण्डवा (पू. निमाड) —— प्रार्थी/पुनरीक्षणकर्ता

कार्यालय आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर
श्री रवि ......
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 13/08/2015
को प्रस्तुत।

विरूद्ध

1433/13.8.2015

भगवान पिता माधवजी गुर्जर,
निवासी ग्राम अतर, तहसील खण्डवा,
जिला खण्डवा (पू. निमाड) —— प्रतिप्रार्थी

अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय

निगरानी आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भूराजस्व संहिता

श्री एस.पी.एस. सलूजा, अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर द्वारा राजस्व द्वितीय अपील क्रमांक 500/अपील/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 28.04.2015 (जिसकी जानकारी अपीलार्थी को दिनांक 04.08.2015 को प्राप्त हुई और जिसके द्वारा उन्होंने अपीलार्थी की अपील निरस्त की) से असंतुष्ट एवं दुखित होकर प्रार्थी यह पुनरीक्षण याचिका निम्न तथा अन्य आधारों पर नियत अवधि में योग्य मुद्रापत्रों पर सादर प्रस्तुत करते है –

पुनरीक्षण के आधार

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2792–पीबीआर / 2015 [दुलाबाई / भगवान] जिला–खण्डवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26.04.2016	आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अपर आयुक्त के द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–4–2015 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष प्रथमदृष्टया विधिसंगत है कि स्थल निरीक्षण में प्रश्नाधीन रास्ता शासकीय होकर उस पर आवेदिका द्वारा अवैध अतिक्रमण किया जाना प्रमाणित पाया गया है । इसके अतिरिक्त उभयपक्ष के मध्य प्रश्नाधीन रास्ते के संबंध में व्यवहार वाद प्रचलित हुआ है, जो कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया गया था और वह निरस्त हुआ है। ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रश्नाधीन रास्ते को अतिकमण से मुक्त रखने का निर्देश तहसीलदार को देने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता नहीं की गई है । उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त द्वारा तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्षो में हस्तक्षेप नहीं करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	